

बिहार सरकार
अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग
सं०- 5/निदे०(मेधावृत्ति)-61-01/2014(खण्ड)-

36

प्रेषक,

प्रेम सिंह मीणा,
सरकार के सचिव ।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना।

पटना, दिनांक - 13.02.17

विषय:- वित्तीय वर्ष 2016-17 में "मुख्यमंत्री अनु० जाति एवं अनु० जनजाति मेधा वृत्ति योजना" के तहत बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से वर्ष 2016 में 10वीं की परीक्षा में प्रथम श्रेणी एवं द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण अनु० जाति एवं अनु० जनजाति के छात्र/छात्राओं को वृत्तिका योजना के अन्तर्गत प्रति छात्र/छात्रा को क्रमशः ₹10,000/- (दस हजार रु०) एवं ₹8000/- (आठ हजार रु०) तथा इंटर की परीक्षा में प्रथम श्रेणी एवं द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण अनु० जाति एवं अनु० जनजाति के छात्राओं को वृत्तिका योजना के अन्तर्गत प्रति छात्राओं को क्रमशः ₹15,000/- (पन्द्रह हजार रु०) एवं ₹10000/- (दस हजार रु०) की दर से वृत्तिका के रूप में देने हेतु मैट्रिक उत्तीर्ण के लिए अनु० जाति मद में ₹5752.52 लाख (सनतावन करोड़ बावन लाख पचास हजार रु०), अनु० जनजाति मद में ₹674.24 लाख (छः करोड़ चौहत्तर लाख चौबीस हजार रु०) तथा इंटर उत्तीर्ण के लिए अनु० जाति मद में ₹2528.35 लाख (पच्चीस करोड़ अठाईस लाख पैतीस हजार रु०), अनु० जनजाति मद में ₹376.35 लाख (तीन करोड़ छिहत्तर लाख पैतीस हजार रु०) अर्थात् कुल ₹9331.46 लाख (तिरानवे करोड़ एकतीस लाख छियालीस हजार रु०) मात्र की स्वीकृति।

आदेश- स्वीकृत।

2-वित्तीय वर्ष 2016-17 में "मुख्यमंत्री अनु० जाति एवं अनु० जनजाति मेधा वृत्ति योजना" के तहत बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से वर्ष 2016 में 10वीं की परीक्षा में प्रथम श्रेणी एवं द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण अनु० जाति एवं अनु० जनजाति के छात्र/छात्राओं को वृत्तिका योजना के अन्तर्गत प्रति छात्र/छात्रा को क्रमशः ₹10,000/- (दस हजार रु०) एवं ₹8000/- (आठ हजार रु०) तथा इंटर की परीक्षा में प्रथम श्रेणी एवं द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण अनु० जाति एवं अनु० जनजाति के छात्राओं को वृत्तिका योजना के अन्तर्गत प्रति छात्रा को क्रमशः ₹15,000/- (पन्द्रह हजार रु०) एवं ₹10000/- (दस हजार रु०) की दर से वृत्तिका के रूप में देने हेतु सलग्न-1 एवं 2 के अनुसार मैट्रिक उत्तीर्ण के लिए अनु० जाति मद में ₹5752.52 लाख (सनतावन करोड़ बावन लाख बावन हजार रु०), अनु० जनजाति मद में ₹674.24 लाख (छः करोड़ चौहत्तर लाख चौबीस हजार रु०) तथा इंटर उत्तीर्ण के लिए अनु० जाति मद में ₹2528.35 लाख (पच्चीस करोड़ अठाईस लाख पैतीस हजार रु०), अनु० जनजाति मद में ₹376.35 लाख (तीन करोड़ छिहत्तर लाख पैतीस हजार रु०) अर्थात् कुल ₹9331.46 लाख (तिरानवे करोड़ एकतीस लाख छियालीस हजार रु०) मात्र की स्वीकृति दी जाती है।

3- वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए उपबंधित राशि एवं उद्ध्यय के आलोक में राज्य योजना मांग सं०-44 के अन्तर्गत अनु० जाति के लिए आय-व्ययक मुख्य शीर्ष 2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-277-शिक्षा-0107-शिक्षा-3401-छात्रवृत्ति/वजीफा-विपत्र कोड-P2225012770107 राज्य योजना स्कीम कोड-SST-5461 तथा अनु० जनजाति के लिए मांग सं०-44 के अन्तर्गत आय-व्ययक मुख्य शीर्ष 2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-02-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-277-शिक्षा-0101-शिक्षा-3401-छात्रवृत्ति/वजीफा-विपत्र कोड-P2225022770101 राज्य योजना स्कीम कोड-SST-5461 के अधीन बजट उपबंध से राशि वहन किया जायेगा।

4- यह राशि बिहार के स्थायी निवासी विद्यार्थियों को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से उत्तीर्णता के अनुसार सम्बंधित छात्र/छात्रा को उपलब्ध कराया जाएगा।

5- इस राशि के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, संबंधित जिला के जिला कल्याण पदाधिकारी होंगे। इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी संबंधित जिला के उप विकास आयुक्त होंगे। साथ ही जिला पदाधिकारी अपने स्तर से पूरी प्रक्रिया का अनुश्रवण करते हुए त्रुटिरहित मेधावृत्ति वितरण सुनिश्चित करेंगे।

संबंधित जिला कल्याण पदाधिकारी वर्ष-2016 में 10वीं की परीक्षा में प्रथम श्रेणी एवं द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण अनु० जाति एवं अनु० जनजाति के छात्र/छात्राओं को वृत्तिका योजना के अन्तर्गत प्रति छात्र/छात्रा को क्रमशः ₹10,000/- (दस हजार रु०) एवं ₹8000/- (आठ हजार रु०) तथा इंटर की परीक्षा में प्रथम श्रेणी एवं द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण अनु० जाति एवं अनु० जनजाति के छात्राओं को वृत्तिका योजना के अन्तर्गत प्रति छात्रा को क्रमशः ₹15,000/- (पन्द्रह हजार रु०) एवं ₹10000/- (दस हजार रु०) की दर से जाति प्रमाण पत्र, प्रवेश पत्र तथा अंक पत्र के जांचोपरांत उचित पहचान पर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा उपलब्ध कराई गई सूची के आधार पर एक मुस्त राशि का भुगतान RTGS/NEFT के माध्यम से करना सुनिश्चित करेंगे।

जिला कल्याण पदाधिकारी निकासी की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र ससमय महालेखाकार बिहार, पटना को उपलब्ध करायेगें तथा एक प्रति विभाग को भी देंगें।


6- राशि का व्यय वित्त विभाग के द्वारा निर्गत परिपत्र पत्रांक-2561 दिनांक-17.04.1998 तथा समय-समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत अन्य परिपत्रों में निहित निदेशों के आलोक में करेंगें।

7- इस राशि की स्वीकृति आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका सं0-5/निदे0(मेधावृत्ति)-61-01/2014(खण्ड)-के पृ0-64 /टि0 पर प्राप्त है।

8- स्वीकृत राशि योजना उद्व्यय एव बजट उपबन्ध के अन्तर्गत है।


9- कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना दिया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से


(प्र. सिंह मीणा)
सरकार के सचिव।


ज्ञापांक-5/निदे0(मेधावृत्ति)-61-01/2014(खण्ड)- 88 पटना, दिनांक- 13.02.17

प्रतिलिपि : वित्त विभाग, बजट शाखा, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, बिहार/ सचिव, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति/निदेशक, अनु0जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उपविकास आयुक्त/ सभी प्रमंडलीय उपनिदेशक,कल्याण/सभी जिला कल्याण पदाधिकारी/लेखा शाखा, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना/सांख्यिकी कोषांग, अनु0जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


सरकार के सचिव।


ज्ञापांक-5/निदे0(मेधावृत्ति)-61-01/2014(खण्ड)- 88 पटना, दिनांक- 13.02.17

प्रतिलिपि : सभी जिला कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


सरकार के सचिव।


ज्ञापांक-4/नि0 यो0 छात्र0 163-02/2008- 88 पटना, दिनांक- 13.02.17

प्रतिलिपि : आई0 टी0 मैनेजर, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग को विभागीय वेबसाईट पर Upload करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।


सरकार के सचिव।


ज्ञापांक-5/निदे0(मेधावृत्ति)-61-01/2014(खण्ड)- 88 पटना, दिनांक- 13.02.17

प्रतिलिपि : मुख्य सचिव, बिहार के विशेष कार्य पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।


सरकार के सचिव।

ज्ञापांक-5/निदे0(मेधावृत्ति)-61-01/2014(खण्ड)- 88 पटना, दिनांक- 13.02.17

प्रतिलिपि : आप्त सचिव, माननीय मंत्री, अनु0जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।


सरकार के सचिव।

विवरणी-1

बिहार सरकार

अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग

वित्तीय वर्ष 2016-17 में राज्य योजनान्तर्गत मुख्य मंत्री अनु० जाति एवं अनु० जनजाति मेधावृत्ति योजना (मैट्रिक) में स्वीकृत राशि की विवरणी

क्रमांक	जिला का नाम	प्रथम श्रेणी		द्वितीय श्रेणी		कुल अनु० जाति एवं अनु० जनजाति	अनु० जाति के लिए स्वीकृत राशि (विपत्र कोड पी० 2225012770107)	अनु० जनजाति के लिए स्वीकृत राशि (विपत्र कोड पी० 2225022770101)	कुल स्वीकृत राशि (राशि लाख में)
		अनु० जाति	अनु० जनजाति	अनु० जाति	अनु० जनजाति				
1	2	3	4	3	4	5	6	7	8
1	पटना	907	30	2313	39	3289	275.74	6.12	281.86
2	नालंदा	1255	12	2864	20	4151	354.62	2.80	357.42
3	रोहतास	662	42	2136	113	2953	237.08	13.24	250.32
4	भभुआ	343	34	920	87	1384	107.90	10.36	118.26
5	भोजपुर	762	38	1819	99	2718	221.72	11.72	233.44
6	बक्सर	151	21	460	88	720	51.90	9.14	61.04
7	गया	1058	18	3762	82	4920	406.76	8.36	415.12
8	जहानाबाद	212	4	739	5	960	80.32	0.80	81.12
9	अरवल	243	9	922	25	1199	98.06	2.90	100.96
10	नवादा	507	11	1784	37	2339	193.42	4.06	197.48
11	औरंगाबाद	750	16	2516	39	3321	276.28	4.72	281.00
12	सारण	523	96	2552	414	3585	256.46	42.72	299.18
13	सिवान	311	106	1148	457	2022	122.94	47.16	170.10
14	गोपालगंज	292	130	1322	469	2213	134.96	50.52	185.48
15	मुजफ्फरपुर	428	23	1654	62	2167	175.12	7.26	182.38
16	सीतामढी	147	2	543	11	703	58.14	1.08	59.22
17	शिवहर	35	0	106	4	145	11.98	0.32	12.30
18	प० चम्पारण	582	876	1551	1646	4655	182.28	219.28	401.56
19	पू० चम्पारण	390	21	1299	82	1792	142.92	8.66	151.58
20	वैशाली	485	12	2310	38	2845	233.30	4.24	237.54
21	दरभंगा	394	4	1468	11	1877	156.84	1.28	158.12
22	मधुबनी	519	7	1868	51	2445	201.34	4.78	206.12
23	समस्तीपुर	814	16	2444	46	3320	276.92	5.28	282.20
24	सहरसा	172	5	625	31	833	67.20	2.98	70.18
25	सुपौल	264	8	826	46	1144	92.48	4.48	96.96
26	मधेपुरा	351	33	717	73	1174	92.46	9.14	101.60
27	पूर्णिया	185	82	515	255	1037	59.70	28.60	88.30
28	अररिया	312	18	573	58	961	77.04	6.44	83.48
29	किशनगंज	109	14	224	66	413	28.82	6.68	35.50
30	कटिहार	238	110	879	499	1726	94.12	50.92	145.04
31	भागलपुर	712	136	1197	325	2370	166.96	39.60	206.56
32	बोंका	344	57	921	222	1544	108.08	23.46	131.54
33	मुंगेर	417	25	1060	73	1575	126.50	8.34	134.84
34	लखीसराय	250	9	758	25	1042	85.64	2.90	88.54
35	शेखपुरा	160	0	553	8	721	60.24	0.64	60.88
36	जमुई	254	32	913	146	1345	98.44	14.88	113.32
37	खगडिया	353	26	959	39	1377	112.02	5.72	117.74
38	बेगुसराय	799	9	1824	22	2654	225.82	2.66	228.48
	कुल योग	16690	2092	51044	5813	75639	5752.52	674.24	6426.76

(कुल चौसठ करोड छब्बीस लाख छिहत्तर हजार रु० मात्र)

पत्रांक-89 दिनांक-13-02-17 अनुलग्नक 1

सरकार के सचिव
अनु०जाति एवं अनु०जनजाति कल्याण विभाग

विवरण-2

बिहार सरकार


अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग

वित्तीय वर्ष 2016-17 में राज्य योजनान्तर्गत मुख्य मंत्री अनु० जाति एवं अनु० जनजाति मेधावृत्ति योजना (इंटर) में स्वीकृत राशि की विवरणी

क्रमांक	जिला का नाम	बालिका					राशि रु० लाख में		
		अनु० जाति		अनु० जन जाति		योग	अनु० जाति (विपत्र कोड- पी02225012770107)	अनु० जनजाति (विपत्र कोड- पी02225022770101)	योग
		I	II	I	II				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	पटना	361	1132	30	37	1560	167.35	8.20	175.55
2	नालंदा	149	761	0	3	913	98.45	0.30	98.75
3	भोजपुर	51	491	5	28	575	56.75	3.55	60.30
4	बक्सर	32	261	1	42	336	30.90	4.35	35.25
5	रोहतास	71	425	5	25	526	53.15	3.25	56.40
6	भभुआ	43	455	5	43	546	51.95	5.05	57.00
7	गया	141	782	6	17	946	99.35	2.60	101.95
8	जहानाबाद	11	188	0	2	201	20.45	0.20	20.65
9	नवादा	69	510	3	6	588	61.35	1.05	62.40
10	औरंगाबाद	54	601	3	10	668	68.20	1.45	69.65
11	अरवल	51	391	1	5	448	46.75	0.65	47.40
12	मुजफ्फरपुर	389	792	38	36	1255	137.55	9.30	146.85
13	सीतामढ़ी	325	253	16	12	606	74.05	3.60	77.65
14	वैशाली	193	1080	11	14	1298	136.95	3.05	140.00
15	पू० चम्पारण	183	474	15	33	705	74.85	5.55	80.40
16	प० चम्पारण	134	443	413	532	1522	64.40	115.15	179.55
17	शिवहर	37	88	0	34	159	14.35	3.40	17.75
18	सारण	133	996	30	111	1270	119.55	15.60	135.15
19	सिवान	102	553	51	194	900	70.60	27.05	97.65
20	गोपालगंज	60	464	33	176	733	55.40	22.55	77.95
21	दरभंगा	161	677	6	78	922	91.85	8.70	100.55
22	मधुबनी	377	847	12	20	1256	141.25	3.80	145.05
23	समस्तीपुर	230	1162	12	22	1426	150.70	4.00	154.70
24	सहरसा	35	193	3	18	249	24.55	2.25	26.80
25	सुपौल	114	242	14	15	385	41.30	3.60	44.90
26	मधेपुरा	115	422	12	44	593	59.45	6.20	65.65
27	भागलपुर	110	443	39	126	718	60.80	18.45	79.25
28	बौका	69	287	20	106	482	39.05	13.60	52.65
29	मुंगेर	56	345	7	51	459	42.90	6.15	49.05
30	जमुई	80	377	9	82	548	49.70	9.55	59.25
31	खगड़िया	34	161	0	29	224	21.20	2.90	24.10
32	बेगूसराय	231	763	4	17	1015	110.95	2.30	113.25
33	लखीसराय	20	136	3	4	163	16.60	0.85	17.45
34	शेखपुरा	31	173	2	5	211	21.95	0.80	22.75
35	पूर्णिया	89	247	58	179	573	38.05	26.60	64.65
36	अररिया	143	247	13	29	432	46.15	4.85	51.00
37	किशनगंज	42	88	10	18	158	15.10	3.30	18.40
38	कटिहार	105	387	35	173	700	54.45	22.55	77.00
		4631	18337	925	2376	26269	2528.35	376.35	2904.70

(कुल उनतीस करोड़ चार लाख सत्तर हजार रु० मात्र)

पत्रांक- 88 दिनांक- 13.02.17 अनुलग्नक 1


सचिव 13/2/17

अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग